पत्रांक-6/37-48/2002 209 /

झारखंड सरकार
मानव संसाधन विकास विभाग
माध्यमिक शिक्षा निदेशालय

प्रेषक,

निदेशक (मा० शि०) झारखंड, राँची

सेवा में,

सचिव,
सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली।

राँची, दिनांक 30.1.04

विषय- झारखंड राज्य के अन्तर्गत संचालित निजी विद्यालयों को सी०बी० एस०ई०, नई दिल्ली संबंधन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने के संबंध में।

महाशय,
उपर्युक्त विषय पर निदेशानुसार कहना है कि मानव संसाधन विकास विभाग झारखंड सरकार के द्वारा विचारोपरान्त राज्य के अंतर्गत संचालित निम्नांकित निजी विद्यालयों को सी०बी०एस०ई० नई दिल्ली से सम्बद्धता हेतु नीचे अंकित शर्तों एवं बन्धेजों के अधीन अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत करने का निर्णय लिया गया है:-

1. इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल, कांके रोड राँची।
2. स्टार इन्टरनेशनल पब्लिक स्कूल ओकर राँची।
3. इस्ट प्वाईन्ट राँची।
4. सरस्वती विद्यामंदिर करकेट्टा परियोजना खेलाड़ी, राँची
5. दयावती मोदी पब्लिक स्कूल उमेशनगर, चाण्डिल पूर्वी सिंहभूम।
6. गायत्री शिक्षा निकेतन उच्च विद्यालय, आदित्यपुर सरायकेला-खरसावाँ।
7. डी०ए०वी० पब्लिक स्कूल सिमडेगा।
8. स्कूल आफ [illegible] तालडांगा हाउसिंग कालोनी [illegible] धनबाद।
9. [illegible] स्कूल महाराजगंज, हजारीबाग।
10. सरस्वती शिशु विद्या मंदिर बरगंडा गिरिडीह।
11. सरस्वती विद्या मंदिर रजरप्पा प्रोजेक्ट हजारीबाग।
12. राम प्रसाद चन्द्रभान सरस्वती विद्या मंदिर गोला रोड, हजारीबाग।
13. ग्रीन माउन्ट एकेडमी, जेल रोड दुमका।

शर्त एवं बन्धेज जिसके अधीन उपर्युक्त निजी विद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण पत्र निर्गत किया गया है।

---

1. विद्यालय की वार्षिक बचत आय 10 प्रतिशत से अधिक नहीं हो ताकि यह प्रमाणित हो सके कि विद्यालय लाभ अर्जित करने के उद्देश्य से स्थापित नहीं किया गया है।

20030

गया है।

/कुल आय का 10 प्रतिशत जो बचत होगी उसका उपयोग भी विद्यालय के विकास
में किया जायेगा । विद्यालय में कार्यरत सभी कर्मियों को कम से कम राज्य सरकार
में कार्यरत समकक्ष कर्मियों को देय वेतन एवं भत्ते के बराबर भुगतान करना होगा।

2. विद्यालय को किसी प्रकार का अनुदान नहीं दिया जायेगा।

3. विद्यालय को शहरी क्षेत्र में 2 एकड़ एवं ग्रामीण क्षेत्र में 4 एकड़ भूमि विद्यालय
के नाम से निर्बाधित या कम से कम 30 वर्षों के निर्बाधित पट्टा/लीज पर होना चाहिए
यदि भविष्य में जांचोपरान्त भिन्न स्थिति पाई जायेगी तो अनापत्ति प्रमाण पत्र
वापस लेने का अधिकार सरकार को सुरक्षित रहेगा।

4. विद्यालय में हिन्दी भाषा की पढ़ाई अनिवार्य रूप से होनी चाहिए।

5. नामांकन हेतु किसी प्रकार का डोनेशन या कैपिटेशन फीस नहीं लिया
जायेगा।

6. गरीबी रेखा के नीचे के छात्र/छात्राओं का 10 प्रतिशत स्थान नामांकन के
लिए सुरक्षित होगा साथ ही सामान्य शुल्क का 50 प्रतिशत शुल्क लिया जायेगा।

7. विद्यालय का कार्य कलाप राष्ट्र के हित में होना चाहिए । विद्यार्थियों
में राष्ट्रीयता का संचार, नैतिक तथा राज्य के सांस्कृतिक मूल्यों ऐतिहासिक,
भौगोलिक, वैज्ञानिक ज्ञानवर्द्धक, शारीरिक एवं व्यक्तित्व विकास हेतु लोकाइटेक [illegible]
प्रोत्साहन करना होगा।

8. विद्यालय में छात्रों की समुचित संख्या एवं उसके अनुपात में शिक्षक होना चाहिए।

9. विद्यालय में नामांकन प्रक्रिया, कर्मियों की संख्या, योग्यता एवं नियुक्ति
प्रशिक्षण आदि में समय-समय पर राज्य सरकार समीक्षोपरान्त संशोधन कर सकेगी।

10. विद्यालय [illegible] प्रबंधन नियमावली के आधार पर गठित होगी
निकाय के सदस्यों की कार्यावधि पूर्ण होने पर सदस्यों की सूची जिला शिक्षा
पदाधिकारी कार्यालय में जमा करना होगा ।

11. राज्य/केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न प्रकार के एक्सटेन्शन
प्रोग्राम तथा एन०सी०सी०, एन०एस०एस० स्काउट एंव गाईड आदि को सुचारु रूप से
करना होगा ।

12. यदि कोई संस्था पूर्व से किसी बोर्ड से सम्बद्धता प्राप्त हो तो विभागीय
परिपत्र संख्या-1055, दिनांक 5-9-2001 के अनुसार शर्तों का पालन करना होगा
अन्यथा अनापत्ति प्रमाण-पत्र वापस लेने का सर्वाधिकार राज्य सरकार में सुरक्षित
होगा।

13. उपर्युक्त शर्तों या बन्धेजों का अनुपालन न करने की स्थिति में राज्य
सरकार को अनापत्ति प्रमाण-पत्र रद्द करने का अधिकार होगा ।

14. अनापत्ति प्रमाण-पत्र के लिये विद्यालय द्वारा समर्पित कागजातों एवं
अभिलेखों की जांच वास्तविक स्थिति से भिन्न पाया जाय या विद्यालय द्वारा
कोई ऐसा कार्य जिससे
राष्ट्र या राज्योंहित के विरुद्ध किया जा रहा हो या
सामाजिक कटुता फैलती हो तो सरकार निर्गत अनापत्ति प्रमाण-पत्र को वापस ले
सकती है ।

[illegible] उपर्युक्त शर्तों एंव बन्धेजों को अनुपालन किया जा[illegible]

झारखंड के सक्षम पदाधिकारी द्वारा की जायेगी तथा सरकार जब चाहे विद्यालय संस्था के वित्तीय एवं अकादमीय अनियमितताओं की जांच करा सकेगी और जांचोपरान्त अनुवर्ती कार्रवाई कर सकेगी ।

16. एतद् विषयक किसी प्रकार के न्यायिक मामलों का निपटारा माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, रांची के क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत होगा ।

17. समय-समय पर लोकहित में सरकार द्वारा विद्यालय सम्बद्धन संबंधी जो निर्देश दिये जायेंगे उसका अनुपालन करना अनिवार्य होगा अन्यथा शर्तों का उल्लंघन करते हुए प्रस्वीकृति प्रमाण-पत्र वापस लेने के साथ-साथ अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जा सकेगी ।

विश्वासभाजन
30.1.14
(सुरेन्द्र सिंह मीणा)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक 207 / रांची, दिनांक 30.1.14
प्रतिलिपि, संबंधित क्षेत्रीय उप निदेशक/ सभी संबंधित जिला शिक्षा पदाधिकारी/ सभी संबंधित विद्यालय के प्रधानाध्यापकों को सूचनार्थ प्रेषित ।

30.1.14
(सुरेन्द्र सिंह मीणा)
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।

ज्ञापांक 207 / रांची, दिनांक 30.1.14
प्रतिलिपि, माननीय मंत्री के आप्त सचिव/ सचिव, मानव संसाधन विकास विभाग, झारखंड, रांची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित ।

30.1.14
निदेशक (माध्यमिक शिक्षा)
झारखंड, रांची ।